


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती रूकसाना
किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

विपक्षी :- श्री मुस्ताक
पत्रावली संख्या : 24 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण				दस्तावेज वादी को सुनाने जारी की गई
	<p>दिनांक : 01.08.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त, शामिल फाईल रहे, रेकार्ड पर लिया जाता हैं। अधिवक्ता वादीयां द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीयां की बहस सुनी गई। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीयां द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः अधिवक्ता वादीयां द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से वाद वादीयां स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादीयां से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीयां का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान	
1	मुस्ताक मो दत्तक पुत्र मिदुशाह 1/2 मुसलमान रूकसाना पुत्री मोहम्मद खा 1/2 मुसलमान सा. देह खातेदार स्थगन मुस्ताक मो के हिस्से पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के प्र.स. 10/22 से	765/3	0.0162	0.02	
	योग	किता 01	0.0162	0.02	
2	मुस्ताक मो दत्तक पुत्र मिदुशाह मुसलमान सा देह खातेदार स्थगन मुस्ताक मो के हिस्से पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के प्र.स. 10/22 से	765/2	0.5827	0.97	
	योग	किता 1	0.5827	0.97	
3	रूकसाना पुत्री मोहम्मद खा मुसलमान सा. देह खातेदार	765/1	0.5828	0.98	
	योग	किता 1	0.5828	0.98	
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>				
					

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 24/22 (वाद) GCMS No. : 2022/45

उनवान

1. रुकसाना पुत्री मोहम्मद खां मुसलमान निवासी वासनीखुर्द तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री मुस्ताक मोहम्मद दत्तक पुत्र मिठुशाह मुसलमान निवासी वासनीखुर्द तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीयां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.08.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा वासनीखुर्द पटवार हल्का वासनीकलां की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	मुस्ताक मो दत्तक पुत्र मिठुशाह 1/2 मुसलमान रुकसाना पुत्री मोहम्मद खा 1/2 मुसलमान सा. देह खातेदार स्थगन मुस्ताक मो के हिस्से पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के प्र.स. 10/22 से	765/3	0.0162	0.02
	योग	किता 01	0.0162	0.02
2	मुस्ताक मो दत्तक पुत्र मिठुशाह मुसलमान सा देह खातेदार स्थगन मुस्ताक मो के हिस्से पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के प्र.स. 10/22 से	765/2	0.5827	0.97
	योग	किता 1	0.5827	0.97
3	रुकसाना पुत्री मोहम्मद खा मुसलमान सा. देह खातेदार	765/1	0.5828	0.98
	योग	किता 1	0.5828	0.98

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली